झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — द्वादश (बजट)सत्र

संख्या-04 — शनिवार, दिनांक-20 जनवरी, 2018 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.14 बजे अप० तक ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.विविध चर्चायें:-

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार सम्बन्धी अखबारों की प्रतियाँ दिखाते हुए आसन का ध्यान आकृष्ट किया और कार्रवाई की माँग करने लगे।

2.कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

झारखण्ड लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा में आरक्षण लागू किये जाने सम्बन्धी माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार से प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना के नियमानुकूल नहीं होने के कारण इसे आसन द्वारा अमान्य किया गया।

3.विविध चर्चायें(क्रमांक-1 से जारी):-

i- माननीय सदस्य, श्री भानु प्रताप शाही ने निकाय चुनावों में छोटे-छोटे दलों को स्थान नहीं दिये जाने सम्बन्धी प्रकाशित समाचार की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह किया कि पूर्व में ही सदन में माननीय मुख्यमंत्री के साथ-साथ विभागीय मंत्री द्वारा भी आश्वस्त किया गया था कि निकाय चुनावों में छोटे दलों को भी स्थान मिलेगा। अतएव प्रकाशित समाचार पर सरकार से वक्तव्य की माँग माननीय सदस्य, श्री शाही ने की,

ii- माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी भावना को अभिव्यक्त करते हुए आसन से आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री सदन में आश्वासन देते है, लेकिन वह पूरा हुआ प्रतीत नहीं होता है,

iii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने झारखण्ड लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा में आरक्षण तथा मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के सम्बन्ध में अखबारों में प्रकाशित समाचार की ओर पुनः ध्यान आकृष्ट करते हुए पूर्व से चली आ रही माँगों को दुहराया(शोरगुल)।

माननीय मुख्यमंत्री ने आसन के माध्यम से सदन को सूचित किया कि मुख्य सचिव के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की जाँच हेतु विशेष शाखा को सूचित किया गया है। इस बीच भारी शोरगुल एवं नारेबाजी होने लगी जिसके विरोधस्वरूप सत्तापक्ष के सर्वश्री मनीष जायसवाल, अनन्त कुमार ओझा, राज सिन्हा, हरिकृष्ण सिंह, जय प्रकाश वर्मा, नागेन्द्र महतो,

P.T.O

जीतू चरण राम, बिरंची नारायण एवं श्रीमती गंगोत्री कुजूर अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये। उक्त परिस्थिति में सदन में अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.25 बजे पूर्वा० से 12.45 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

स्थगनोपरांत

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित प्राय: सम्पूर्ण विपक्षी सदस्य पूर्व के विषय से सम्बन्धित अखबार की प्रतियाँ हाथ में लेकर आसन का ध्यान आकृष्ट करने लगे और शनै:-शनै: सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।

4.वित्तीय कार्य:-

''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)'' की माँग माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा रखी गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव को अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु आसन से पुकारा गया, लेकिन उन्होंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही पूर्व के विषय को लेकर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने मुख्य सचिव के सम्बन्ध में दिनांक-19.01.2018 को सदन में दिये गये वक्तव्य के आलोक में कोषागार संहिता के नियम-04 एवं 73 को पढ़कर सुनाया और आरोपित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की माँग करने लगे इस क्रम में उन्होंने अपने ही जूतों को अपने सिर पर रखते हुए यह भी कहा कि इसका स्थान पैरों में होता है न कि सिर पर। अतएव सरकार इनके विरूद्ध त्वरित कार्रवाई करे। इस अवसर पर माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री मनीष जायसवाल, श्री राधा कृष्ण किशोर ने भी अपनी-अपनी व्यथायें व्यक्त की।

आसन द्वारा अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत ''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)'' की माँग पर चर्चा हेतु माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा का नाम पुकारा गया, लेकिन भारी शोरगुल के कारण उन्होंने चर्चा प्रारम्भ नहीं की। शनै:-शनै: झारखण्ड मुक्ति मोर्चा एवं कॉंग्रेस के माननीय सदस्य सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे जिससे अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया। अतएव सदन की कार्यवाही 02.24 बजे अप० से 03.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

5.वित्तीय कार्य(क्रमांक-4 से जारी):-

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही पूर्व की स्थिति पुन: उत्पन्न हो गयी।

अन्तराल के पूर्व श्री सरयू राय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत ''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)'' की माँग बारी-बारी से गिलोटिन (मुखबंद) के माध्यम से स्वीकृत हुई।

(P.T.O.)

(भारी शोरगुल)

6.विधायी कार्य:-

(क) झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2018

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। इसके उपरांत सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक-23, जनवरी, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी ।

रॉंची,
दिनांक- 20, जनवरी, 2018 ई०।

विनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

— x —